न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़बास (खैरथल–तिजारा)

अध्यासित– मनीष कुमार जाटव आर0ए0एस0

दावा संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
187/2024	16.07.2024	23.07.2025

उनवान

1 आसूदीन पुत्र इस्लामूदीन
2 जमशेद खांन पुत्र फजरूदीन
3 हसारूदीन पुत्र श्री नसरूदीन
4 फजरी पत्नि फजरूदीन
5 महमूदा पुत्र सुलेमान
6 समयदीन पुत्र इस्लामूदीन जाति मेव निवासी नांगल मौजिया तह० खैरथल जिला खैरथल तिजारा राज०।

–वादीगण

बनाम

1 राज्य सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार खैरथल जिला खैरथल तिजारा राज०।
2 सब्बीर
3 मजीद
4 शहीद पुत्रान श्री इस्माईल जाति मेव निवासी नांगल मौजिया तह० खैरथल जिला खैरथल तिजारा राज०।

– असल प्रतिवादीगण

5 जमशीदा उम्र 49 साल पुत्री फजरूदीन
6 बसकरी उम्र 45 साल पुत्री फजरूदीन
7 सकुनत उम्र 47 साल पुत्री फजरूदीन
8 साखरून उम्र 36 साल पुत्री फजरूदीन
9 साहुनी उम्र 46 साल पुत्री फजरूदीन जाति मेव निवासी नांगल मौजिया तह० खैरथल जिला खैरथल तिजारा राज०।

– तरतीबी प्रतिवादीगण

दावा इश्तकरारहक मय इन्द्राज दुरुस्ती अर्न्तगत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितिः–

1. वादीगण की ओर से श्री कमरूदीन वकील।
2. प्रतिवादीगण की ओर से श्री रविन्द्र शर्मा वकील।
3. तरतीबी प्रतिवादी की ओर से इकबाल जवाब दावा।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (खैरथल–तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

<u>पर्चा डिक्री</u>

वाद वादीगण बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण बरूवे इकबाल जवाब दावा डिक्री किया जाकर आदेशित किया जाता है कि आराजी खसरा संख्या 375 रकबा 0.2800 है० ग्राम नांगल मौजिया तह० खैरथल जिला खैरथल तिजारा के हाल राजस्व रिकार्ड मे वादीगण एवं तरतीबी प्रतिवादीगण के नाम के अंकन के आगे जो प्रतिवादीगण संख्या 02 लगायत 04 के बुजुर्गान का बकाश्त एवं शिकमी का अंकन हो रहा है उसे हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तदानुसार ही राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हो। पत्रावली फेसल शुमार होकर बाद तकमील कर दाखिल लेख भण्डार हो। सुनाया गया।

मनीष कुमार जाटव (RAS)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (खैरथल–तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

की ओर से श्री जीतेन्द्र शर्मा

निर्णय

दावा वादीगण निम्न प्रकार पेश है:–

आराजी हाल खसरा संख्या 375 रकबा 0.2800 है० ग्राम नांगल मौजिया तह० खैरथल जिला खैरथल–तिजारा राजस्थान स्थित है जो आराजी प्रस्तुत वाद में विवादित आराजी कहलावेगी। विवादित आराजी वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण की कब्जा काश्त खातेदारी की आराजी है जिस आराजी पर वादीगण शान्ति पूर्वक काबिज व दाखिल होकर काश्त कारोबार करते चले आ रहे है राजस्व रिकार्ड मे वादीगण व तर० प्रति० के नाम का अंकन हो रहा है तथा मौके पर वादीगण व तर० प्रति० का वास्तविक कब्जा है। विवादित आराजी से असल प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 या फिर इनके पिता इस्माईल का कभी भी किसी भी तरह का कोई लेना देना सरोकार व सम्बन्ध नहीं रहा है ना ही अब है ना पहले कभी था किन्तु मृतक इस्माईल जो कि बडा ही चतुर चालाक व राजस्व कार्यो मे बडा ही निकासू व्यक्ति था कि जिसने प्रतिवादी संख्या 1 के अधिनस्थ कर्मचारीयो व अधिकारीयो से साज बाज होकर अपने नाम का अंकन विवादित आराजी में बतोर बकाश्त शिकमी साल 4 का अंकन दर्ज करा लिया है जो अंकन सरीहन गलत खिलाफ कानून खिलाफ मौका विपरीत रिकार्ड ऑफ राईट्स हुआ है। जिस अंकन को वादीगण व तर० प्रति० हजफ कराकर अपनी शुद्ध खातेदार दर्ज कराने व स्वयं को विवादित आराजी के तन्हा काबिज काश्त खातेदार काश्तकार घोषित कराने के हकदार है कि जिसके लिए दावा हाजा दायर करना लाजिम आया है। उक्त गलत अंकन का ज्ञान वादीगण को दिनांक 17/05/2024 को नकल जमाबंदी हासिल करने पर हुई जिस पर वादीगण ने प्रतिवादीगन से अनेको बार उक्त गलत अंकन को दुरूस्त करने हेतु कहा लेकिन प्रतिवादीगन टाल बाल कर समय व्यतीत करते रहे है तथा अब दिनांक 05/07/2024 को जब वादीगण ने जोर देकर उक्त गलत अंकन को दुरूस्त कराने हेतु कहा तो प्रतिवादीगण असल स्पष्ट तौर पर इंकार हो गये जिससे अविलम्ब ही दावा हाजा दायर करना लाजिम आया है।

अतः प्रार्थना है कि :–

डिक्री इज्राय इशतकरारहक मय इन्द्राज दुरूस्ती बहक वादीगन व तर० प्रति० पारित की जाकर घोषित किया जावे कि आराजी हाल खसरा संख्या 375 रकबा 0.2800 है० ग्राम नांगल मौजिया तह० खैरथल जिला खैरथल तिजारा राजस्थान के वादीगन व तर० प्रति० तन्हा काबिज काश्त खातेदार काश्तकार है तथा जो अंकन प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 के मरहूम पिता इस्माइल के नाम का अंकन बतोर बकाश्त शिकमी–4 साल का चला आ रहा है वो हकूक वादीगन व तर० प्रति० के खिलाफ बातिल व बेअसर है जिसे हजफ किया जाकर वादीगन व तर० प्रति० को विवादित आराजी का शुद्ध खातेदार दर्ज फरमाया जावे।

दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। असल प्रतिवादीगण सं0 02 लगा0 04 द्वारा एवं तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 05 लगा0 09 के द्वारा पृथक्–पृथक इकबाल जवाबदावा पेश कर वाद वादीगण डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 के द्वारा बाद सूचना भी जवाब पेश नहीं करने पर जवाब बंद कर पत्रावली साक्ष्यवादी में नियत न कर वास्ते बहस नियत की गई।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (खैरथल–तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

वकील वादीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील वादीगण ने दावा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए दावा स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

वकील वादीगण की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया गया। वादीगण के द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी सम्वत् 2074–77 खाता संख्या नया 126 में अंकित खसरा स0 375 रकबा 0.2800है0 में वादीगण एवं तरतीबी प्रतिवादीगण के नाम के आगे बकाश्त इस्माईल पुत्र करीमखां मेव 1/2 हि0 शिकमी साल 4 दर्ज रिकार्ड है तथा पत्रावली में प्रस्तुत इकबाल जवाब दावा प्रतिवादी संख्या 02 लगा0 04 के अनुसार उपरोक्त विवादित आराजी से बकाश्त तथा उसके वारिसान का किसी भी प्रकार से संबंध वो सरोकार नहीं है तथा उपरोक्त विवादित आराजी पर वादीगण एवं तरतीबी प्रतिवादीगण अपने–अपने हिस्से के अनुसार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है जिनका हाल राजस्व रिकार्ड में खातेदारी का अंकन दर्ज है। अतः प्रतिवादीगण के बुजुर्गान का जो बकाश्त एवं शिकमी का अंकन हो रहा है उसे हजफ किये जाने की सहमति दी है। उपरोक्त विवेचन एवं इकबाल जवाब दावे से स्पष्ट है कि हाल राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज बकाश्त एवं शिकमी का उपरोक्त विवादित आराजी से किसी प्रकार का संबंध वो सरोकार नहीं है। अतः उनके बकाश्त एवं शिकमी का अंकन हाल राजस्व रिकार्ड से हजफ किया जाना उचित एवं न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः आदेश है कि:–

वाद वादीगण बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण बरूवे इकबाल जवाब दावा डिक्री किया जाकर आदेशित किया जाता है कि आराजी खसरा संख्या 375 रकबा 0.2800 है० ग्राम नांगल मौजिया तह० खैरथल जिला खैरथल तिजारा के हाल राजस्व रिकार्ड मे वादीगण एवं तरतीबी प्रतिवादीगण के नाम के अंकन के आगे जो प्रतिवादीगण संख्या 02 लगायत 04 के बुजुर्गान का बकाश्त एवं शिकमी का अंकन हो रहा है उसे हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तदानुसार ही राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हो। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फेसल शुमार होकर बाद तकमील कर दाखिल लेख भण्डार हो। सुनाया गया।

मनीष कुमार जाटव (RAS)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (खैरथल–तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner